उत्तर पश्चिम रेलवे
North Western Railway

प्रधान कार्यालय,
जवाहर सर्किल के पास,
जयपुर– 302017

Headquarters Office,
Near Jawahar Circle,
Jaipur – 302017

राजपत्रित कार्यालय आदेश संख्याः 182/2025
संख्याः ई/प्रका/एनडब्ल्यूआर/838/1(राजभाषा) दिनांकः 10.10.2025
e-file No NWR/HQ/PERS(Gaz)/99/2020 (Computer No. 22788)

कार्यालय आदेश

विषय : राजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदोन्नति–राजभाषा विभाग

निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैः–

श्री हरिकेश मीना, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक/निर्माण/प्रधान कार्यालय, जयपुर को ग्रुप "सी" लेवल–7 से ग्रुप "ए" लेवल–10 मे राजभाषा अधिकारी के पद पर पदौन्नति के बाद प्रथम पोस्टींग के आधार पर स्थानान्तरित कर मौजूदा रिक्ति के विरूद्व राजभाषा अधिकारी, अजमेर मंडल पर पदस्थ किया जाता हैं।

(प्राधिकारः :रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या ई (जीपी)2022/3/12 दिनांक 24.09.2025)

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संदर्भित पत्र में निर्देश दिये गये हैं जो निम्न प्रकार से हैंः–

1. उपयुर्क्त अधिकारी राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगें।
2. दिनांक 16.03.2023 के भर्ती नियमों के कॉलम 11 मे नोट 3 के अनुसार उन्हे पदौन्नति से पहले या पदौन्नति से एक वर्ष की अवधि के भीतर, समय समय पर निर्धारित राजभाषा के क्षेत्र में कम से कम छह सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।
3. उपरोक्त अधिकारी की पदौन्नति माननीय कैट, जबलपुर के समक्ष श्री गौतम श्रीवास्तव एवं अन्य द्वारा दायर ओए संख्या 355/2021 और माननीय कैट, लखनऊ के समक्ष श्री रामप्रकाश द्वारा दायर ओए संख्या 126/2021 के अन्तिम परिणाम के अधिन होगी।
4. उपरोक्त अधिकारी की पदौन्नति जरनैल सिंह मामले मे माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगी।

कार्यभार ग्रहण/छोड़ने की रिपोर्ट की प्रति वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/जी को तथा इस कार्यालय को ईमेल dycpog@nwr.railnet.gov.in पर तथा रेलवे बोर्ड को ईमेल ravinder.pandey@gov.in पर तथा प्रतिलिपि ईमेल rail.amurali@gov.in पर भी अवश्य भेजें।

नोटः– श्री हरिकेश मीना, ग्रुप "सी" लेवल–7 से ग्रुप "ए" लेवल–10 में, पदोन्नति पर इस ओदश के जारी होने के एक माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

10/10/2025
(महेन्द्र सिंह)
सहायक कार्मिक अधिकारी/राज.
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
1. निदेशक/स्थापना/राज., रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
2. मुख्य राजभाषा अधिकारी, उपरे, जयपुर।
3. सभी प्रमुख/समन्वयक विभागाध्यक्ष –उपरे, जयपुर।
4. मंडल रेल प्रबंधक/मुख्य परियोजना प्रबंधक–अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर।
5. मुख्य कारखाना प्रबंधक–अजमेर, बीकानेर, जोधपुर।
6. उप मुख्य सामग्री प्रबंधक–अजमेर, जोधपुर,
7. सचिव–महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक–उपरे, जयपुर।
8. उप मुख्य राजभाषा अधिकारी, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राज., सहा. उप महाप्रबंधक, सहा. सचिव/गोपनीय –उपरे, जयपुर।
9. मुख्य कार्यालय अधीक्षक–वेतन अनुभाग/पास अनुभाग–उपरे, जयपुर।
10. महासचिव–एनडब्ल्यूआरईयू, यूपीआरएमएस, एनडब्ल्यूआरपीओए, एनडब्ल्यूआरओए, ओबीसी, एससी/एसटी एशोसिएशन
11. संबंधित अधिकारी।
12. सीआईओ, उपरे, जयपुर–उत्तर पश्चिम रेलवे वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।